न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी नलिनी कठोतिया, आई0ए0एस0)

अपील संख्या :–533/2023 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/561)

1. हरसहाय पुत्र नानगा जाति गूजर निवासी कडी गॉवडी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (मृतक)
   1/1 बनैसिंह पुत्र हरसहाय
   1/2 भगवानसिंह पुत्र हरसहाय
   1/3 महाराजी पुत्री हरसहाय
   1/4 सोमा पुत्री हरसहाय
   1/5 रूपन्ती पत्नि हरसहाय
   1/6 भीम पुत्र नानगा
   } जाति गूजर निवासी ग्राम कडीगॉवडी तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. हरिकिशन पुत्र नानगा दत्तक पुत्र फौदी जाति गूजर निवासी वौल तहसील टोडाभीम जिला करौली (मृतक)
   1/1 रामअवतार
   1/2 देवीसिंह } पुत्रगण हरिकिशन
   1/3 मुनीम
   1/4 शकुन्तला पुत्री हरिकिशन
   } जाति गूजर निवासी वौल तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज.)
2. रामस्वरूप पुत्र नानगा गोद पुत्र फौदी जाति गूजर निवासी कडी गॉवडी तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
   2/1 जनक } पुत्रगण रामस्वरूप
   2/2 समय
   2/3 शीला
   2/4 द्रोपदी } पुत्रीयान रामस्वरूप
   2/5 लखनवाई
   2/6 पाना
   2/7 वलवीर पुत्र भरत पुत्र रामस्वरूप
   2/8 केशव पुत्र भरत पुत्र रामस्वरूप
   2/9 फोरिश्या पुत्री भरत पुत्र रामस्वरूप
   2/10 पदमा पुत्री भरत पुत्र रामस्वरूप
   2/11 अंगूरी पुत्री भरत पुत्र रामस्वरूप
   } जाति गूजर निवासी कडी गॉवडी तहसील गंगापुर सिटी

..... रेस्पोडेन्टान

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी दिनांक 2.7.2014 बावत् कार्यवाही दाखिल खारिज मृतक नानगा।

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश कुमार सोगरवाल, वकील अपीलान्ट
2. श्री पंकज कुमार, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 लगा. 1/4

निर्णय

दिनांकः— 09.02.2026

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 02.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार गंगापुरसिटी द्वारा मृतक रामनिवास की आराजी का विरासत के तस्दीक किये गये नामांतरकरण संख्या 60 दिनांक 26.05.1992 वांके ग्राम कडी गॉवडी को निरस्त कराने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2012 को अपील स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 60 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया गया कि आलोच्य नामांतरकरण के संबंध में मृतक रामनिवास के विधिक वारिसान की जॉच कर उभयपक्षकारान द्वारा तथाकथित गोदनामें के आधार पर समग्र रूप से की जाकरनये सिरे से नियमानुसार नामांतरकरण निर्णित करें। तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2014 के द्वारा नामांतरकरण संख्या 60 दिनांक 16.06.1992 को निरस्त कर मृतक रामनिवास की विरासत रामस्वरूप पुत्र नानगा, हरिकिशन पुत्र नानगा तथा भीम पुत्र नानगा तथा हरसहाय पुत्र नानगा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो. संख्या 1/1 लगायत 1/4 की ओर से श्री पंकज कुमार एडवोकेट उपस्थित। रेस्पो. संख्या 2/1 लगायत 2/11 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत ने आलोच्यआदेश में यह तो माना है कि मृतक पिता नानगा के रामनिवास की मृत्यु लावल्द विला औरत फौत हुई है जिसने अपने जीवनकाल में कथित भरतलाल पुत्र रामस्वरूप को गोद नहीं लिया और बहन ही मृतक रामनिवास का वारिस हैं परन्तु अपीलांथीगण के दो अन्य भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हरिकिशन व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामस्वरूप को भी मृतक पिता नानगा ने अपने जीवनकाल में ही हरिकिशन को फौदी निवासी बौल तहसील

टोडाभीम को गोद दे दिया था तथा इसी प्रकार रामस्वरूप को फौदी गूजर निवासी बडी गॉवडी के गोद दे दिया था। इस प्रकार दोनों भाईयों के गोद जाने के बाद पिता नानगा के दो ही पुत्रगण अपीलार्थीगण ही हैं। इसलिए मृतक पिता की विरासत अपीलांटान के हक में खोले जाने का आदेश पारित करना चाहिए था मगर न्यायालय तहत ने आलोच्य आदेश पारित कर अपीलांटान के साथ साथ रेस्पों. संख्या 1 व 2 के नाम दाखिल खारिज खोलने का आदेश पारित कर दिया जो विधि संगत न होने से काबिल निरस्तनीय है। मृतक पिता नानगा द्वारा रेस्पोडेन्टान को गोद दिये जाने बावत् स्वयं हरिकिशन ने 20/– रूपया के स्टाम्प पर अपना शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने अपने को दत्तक पिता फौदी जाति गूजर निवासी बौल तहसील टोडाभीम होना स्वीकार किया है फिर भी न्यायालय तहत ने अहम साक्ष्य पर गौर न कर आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष और भी साक्ष्य पेश की जिससे पूर्ण रूप से साबित होता है कि दोनो रेस्पोडेन्ट गोद जा चुके हैं जो अपने दत्तक पितागणों के साथ रहते हैं तथा उन्होने अपने अपने दत्तक पितागण की मृत्यु के बाद छोडी गई समस्त जायदाद पर काबिज हैं। ऐसी अहम स्वीकृति रेस्पोडेन्टान की अदालत तहत के समक्ष थी तो इस स्वीकृत अभिव्यक्ति के विरूद्व आलोच्य आदेश जैर अपील पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अपील में उक्त समस्त बिन्दुओं पर ना तो गौर फरमाया और न ही विवेचित किया है बल्कि स्वयं रेस्पोडेन्टान के हक में नया केस बनाकर आदेश जैर अपील पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांटान स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी दिनांक 02.07.2014 निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार गंगापुर को निर्देशित किया जावे कि मृतक नानगा के कानूनी वारिस अपीलांटान के नाम विरासतन दाखिज खारिज स्वीकार किया जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपील लगभग 20 वर्ष बाद की गई तथा जानकारी न होने का कथन मनगढंत व स्वीकार योग्य नहीं है जबकि आलोच्य नामांतरकरण में अपीलार्थीगण का नाम भी अंकित है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु कोई विश्वसनीय व संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया। राशनकार्ड, जॉब कार्ड व बिजली के बिल में भरत पुत्र रामनिवास अंकित है तथा हरसहाय अपीलार्थी ने ए.डी.जे. कोर्ट में जिरह में भरत को रामनिवास का लडका होना बताया है। मृतक रामनिवास ने भरतलाल को बीस वर्ष पहले ही गोद ले लिया था। गोद के संबंध में रामजीलाल, रामस्वरूप व धर्मसिंह तीन व्यक्तियों के हलफनामें प्रस्तुत किये हैं। सरपंच के समक्ष दत्तक पुत्र होने के संबंध में कोई विवाद नहीं था। आलोच्य नामांतरकरण में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त जॉच कर विधिक आदेश पारित किया हैं। अतः अपीलांटस की अपील बेबुनियाद तथ्यों पर होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के रिमाण्ड आदेश दिनांक 28.09.2012 की पालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2014 पारित किया गया है। मामला विरासतन नामांतरकरण का है। गोदपत्र जैसा कोई लिखित दस्तावेज रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विधिक वारिसानों की जॉच उपरान्त उनके नाम नामांतरकरण खोले जाने की आज्ञा दी गई है जो न्यायोचित है। चूँकि नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग है जिसमें किसी पक्षकार के हक–हकूक तय नहीं किये जाकर केवल वारिसानों के नाम नामांतरकरण खोला जाना न्यायिक रहता है। वैसे भी वसीयत, दानपत्र, गोदनामा जैसे जटिल बिन्दुओं की मीमांशा किया जाकर उनका विनिश्चिय किया जाना राजस्व अदालत के क्षेत्राधिकार से परे है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार गंगापुरसिटी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2014 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने के कारण किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज योग्य रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगापुरसिटी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2014 यथावत जाता है। अपील फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नलिनी कठोतिया)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर